संख्या-130/2024/3344/तीस-3-2024 (ई 1790876)

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 20 दिसम्बर, 2024

विषय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) एवं सहायक मोटर यान निरीक्षक के पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-58(जी)ई/2024-113ई/2023, दिनांक 18 जनवरी, 2024 एवं पत्र संख्या-321(जी)ई/2024-98ई/2023, दिनांक 17 मई, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं, सड़क सुरक्षा कार्यो में अतिशय वृद्धि, सड़क सुरक्षा के सभी दायित्वों का निर्वहन तहसील स्तर पर सभी ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों में किये जाने एवं यातायात नियमों से जुड़े समस्त कार्यों हेतु सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) एवं सहायक मोटर यान निरीक्षक (ए0एम0वी0आई0) के पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पदों को स्तम्भ-5 में वर्णित स्थिति के अनुसार, स्तम्भ-4 में अंकित वेतनमान में आदेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक की अवधि के लिए, यदि यह पद इसके पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जायं, सृजित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

.....2...

http://gnasanadesh.up.gov.in

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान)	36	मैट्रिक्स लेवल-10, तत्सदृश वेतनबैण्ड रू0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रू0 5400/-	गौतमबुद्ध नगर, हरदोई, बुलन्दशहर, मथुरा, गाजियाबाद, उन्नाव, सीतापुर, शाहजहाँपुर, फिरोजाबाद, बाराबंकी, कुशीनगर, फतेहपुर, कानपुर देहात, मैनपुरी, जौनपुर, कानपुर नगर, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, आजमगढ, झांसी, अयोध्या, वाराणसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, गोण्डा, बस्ती, मीरजापुर, चित्रकूट, रायबरेली, बदायूं एवं बिजनौर हेतु।
2	सहायक मोटर यान निरीक्षक	351	मैट्रिक्स लेवल-6 तत्सदृश वेतन बैण्ड रू0 9300-34,800, ग्रेड वेतन रू0 4200/-	समस्त तहसील हेतु।

3. उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर वेतन-भत्ते तथा अन्य भत्ते, जो भी नियमानुसार अनुमन्य हों, देय होंगे।

4. उपर्युक्त प्रस्तर-2 की तालिका के क्रमांक-1 के अनुसार सृजित पदों को उपलब्ध सेवा नियमावली के संगत उपलब्ध कैडर में वृद्धि के रूप में सम्मिलित माना जायेगा।

.....3...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के अधीन लेखाशीर्ष "3055-सड़क परिवहन-आयोजनेत्तर-001- निदेशन और प्रशासन-03 अधिष्ठान व्यय" के अंतर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-349/दस-2024-25, दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री जी, उ0प्र0।
(2) महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन/प्रवर्तन/सड़क सुरक्षा), उ0प्र0।
(4) संबंधित जिलाधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।
(5) संबंधित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।
(6) संबंधित उप परिवहन आयुक्त (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।
(7) संबंधित संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उ0प्र0।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
(9) कार्मिक अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश शासन।
(11) परिवहन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।